राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2016/845 दिनांक 11/5/18

प्रेषित :-

तहसीलदार चौहटन

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 29/18 अन्तर्गत धारा 131,136 भू.रा.अ. अनवान मगाराम बनाम तहसीलदार चौहटन वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.05.18 की पालना निर्णय की प्रमाणित प्रति के अनुसार नाम दुरस्ती कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 29/18

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

अनवान प्रार्थी – 1.मगाराम पुत्र आईदानराम, जाति जाट
निवासी गोदारों की ढाणी, ईशरोल
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.तहसीलदार चौहटन एवं विप्रार्थी सं. 2 से 32
जाति जाट, निवासी गोदारों की ढाणी, ईशरोल
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 11.05.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 2 से 32 के संयुक्त व पैतृक खातेदारी की भूमी मौजा गोदारों की ढाणी, पटवार क्षेत्र ईशरोल, तहसील चौहटन में खसरा सं. 481 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 424 रकबा 201.08 बीघा, खसरा सं. 455 रकबा 73.11 बीघा, खसरा सं. 482 रकबा 00.07 बीघा, खसरा सं. 483 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 485 रकबा 180.02 बीघा, खसरा सं. 484 रकबा 01.03 बीघा के आये हुए है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 2 से 4 के पिता व पति आईदानराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा आईदानराम के फौत होने पर प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 2 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हुई। परन्तु आईदानराम की फौतगी के समय पारित नामान्तरकरण में राजस्व अधिकारियों ने बिना कोई जांच किये प्रार्थी का नाम मगाराम के स्थान पर रतना अंकित कर दिया जो कि गलत है। क्योंकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मगाराम पुत्र आईदानराम है।

प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मगाराम पुत्र आईदानराम है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम रतना पुत्र आईदानराम की जगह मगाराम पुत्र आईदानराम अंकित होना चाहिए था। जबकि राजस्व अधिकारियों ने बिना कोई जांच किये प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

मगाराम के स्थान पर रतना अंकित कर दिया जो कि गलत है। राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी का गलत नाम दर्ज कर भारी कानूनी भूल की है, जिसके कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी एवं पैतृक भूमि पर ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं के तहत फायदा लेने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी अपना सही नाम मगाराम पुत्र आईदानराम दुरस्त करवाने का अधिकारी है। इस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में नकल जमाबन्दी खसरा सं. 484, 481, 424, 455, 482, 483, 485 संवत् 2070 से 2073, मौजा गोदारों की ढाणी, स्वयं का पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड की छायाप्रतियां न्यायालय में पेश की ।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प ईशरोल में पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। विप्रार्थीगण की ओर से हनुमानराम, केसराराम, दुर्गाराम उप. हुए।

लोक अदालत/कोर्ट कैम्प में पी.डब्ल्यू.1 मगाराम पुत्र आईदानराम एवं पी.डब्ल्यू.2 हनुमानराम पुत्र भोमाराम, केसाराम पुत्र भगाराम, दुर्गाराम पुत्र कानाराम के बयान कलमबद्ध करवाये गये। मगाराम पुत्र आईदानराम ने अपने बयान में कहा कि हमारे पुश्तैनी खेत पहले आईदानराम के नाम से थे। स्व.आईदानराम के हम चार जाईन्दा पुत्र है। जिसमें रेखाराम फौत हो चुका है। वर्तमान में आईदानराम के हम तीन जीवित पुत्र हनुमानराम, धर्माराम, भगाराम है। हमारे पिता के फौत होने पर फौतगी का नामान्तरकरण भरते समय आईदानराम के विधिक वारिस हनुमानराम, धर्माराम, रतनाराम के नाम से भरा गया जो गलत था, चूंकि रतनाराम नाम का कोई पुत्र आईदानराम के नही है। मेरे नाम की जगह गलत नाम रतना लिखा गया । रतनाराम पुत्र आईदानराम नाम का कोई अन्य व्यक्ति भी हमारे गांव में नहीं रहता है। मेरे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड में मेरा नाम मगाराम पुत्र आईदानराम दर्ज है, इसलिए मेरा सही नाम रतना पुत्र आईदानराम के स्थान पर मगाराम पुत्र आईदानराम दुरस्त किया जावे।

हनुमानराम पुत्र भोमाराम, केसाराम पुत्र भगाराम, दुर्गाराम पुत्र कानाराम ने अपने बयानों में कहा कि हम मगाराम को जानते है, इसके पिता का नाम आईदानराम है। आईदानराम के फौत होने पर फौतगी का नामान्तरकरण भरते समय गलती से रतना दर्ज कर दिया गया है। आईदानराम के रतना नाम का कोई पुत्र नहीं है। मगाराम पुत्र आईदानराम ने नाम शुद्धी के लिए आवेदन पेश किया है वह सही है। प्रार्थी का सही नाम मगाराम पुत्र आईदानराम करना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि मौजा गोदारों की ढाणी, पटवार क्षेत्र ईशरोल, तहसील चौहटन में खसरा सं. 481 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 424 रकबा 201.08 बीघा, खसरा सं. 455 रकबा 73.11 बीघा, खसरा सं. 482 रकबा 00.07 बीघा, खसरा सं. 483 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 485 रकबा 180.02 बीघा, खसरा सं. 484 रकबा 01.03 बीघा के आये हुए है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 2 से 4 के पिता व पति आईदानराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा आईदानराम के फौत होने पर प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 2 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हुई। परन्तु आईदानराम की फौतगी के समय पारित नामान्तरकरण में राजस्व अधिकारियों ने बिना कोई जांच किये प्रार्थी का नाम मगाराम के स्थान पर रतना अंकित कर दिया जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मगाराम पुत्र आईदानराम है। प्रार्थी द्वारा पेश मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम मगाराम अंकित है। अतः न्यायालय के मत में प्रार्थी का नाम रतना पुत्र आईदान के स्थान पर मगाराम पुत्र आईदानराम दुरस्त करना न्यायोचित होगा।

अतः न्यायहित प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा गोदारों की ढाणी, पटवार क्षेत्र ईशरोल, तहसील चौहटन में खसरा सं. 481 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 424 रकबा 201.08 बीघा, खसरा सं. 455 रकबा 73.11 बीघा, खसरा सं. 482 रकबा 00.07 बीघा, खसरा सं. 483 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 485 रकबा 180.02 बीघा, खसरा सं. 484 रकबा 01.03 बीघा भूमि में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम रतना पुत्र आईदान के स्थान पर मगाराम पुत्र आईदानराम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दिरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को लोक अदालत/कोर्ट कैम्प ईशरोल में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन